

आधार नंबर के उपयोग हेतु सहमति-पत्र

मैं अपने आधार नंबर की जानकारी "राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना" हेतु उपयोग करने की सहमति देता/देती हूँ। मेरे द्वारा मेरे आधार को दर्शित बैंक अकाउण्ट से लिंक करा लिया गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा-पत्र

मैंसत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हूँ तथा आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सही है। मेरे या मेरे परिवार शासन से सामायिक भत्ता/आर्थिक सहायता किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। मेरे द्वारा असत्य/त्रुटिपूर्ण जानकारी देकर अनुदान सहायता राशि प्राप्त करने पर राज्य सरकार द्वारा विधिक कार्यवाही करते हुए दी गई अनुदान सहायता राशि भू राजस्व के बकाया के रूप में मुझसे वसूल की जाये।

संलग्न :- बैंक पासबुक की छायाप्रति

आधार की छायाप्रति

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मेरे द्वारा आवेदक के आवेदन में उल्लेखित जानकारी एवं संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण किया गया है। मैं इस आवेदन पत्र का डाटा एंट्री की अनुमति प्रदान करता हूँ।

अथवा

मेरे द्वारा आवेदक के आवेदन में उल्लेखित जानकारी एवं संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण किया गया है। प्रविष्टि के आधार पर आवेदन पत्र असत्य/त्रुटिपूर्ण होने के कारण अस्वीकृत किया जाता है।

ग्राम पंचायत का नाम

जनपद पंचायत का नाम

पंचायत सचिव के हस्ताक्षर एवं सील

पंचायत सचिव के नाम

पावती

हितग्राही सुश्री/श्री/श्रीमती/पिता/पति श्रीग्राम
मोबाईल नंबर "राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना" अंतर्गत पंजीयन एवं संबधित
दस्तावेज आज दिनांक को प्राप्त किया।

ग्राम पंचायत का नाम

जनपद पंचायत का नाम

पंचायत सचिव के हस्ताक्षर एवं सील

पंचायत सचिव के नाम